उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0– 85–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पा0का0लि0/18–14–का0वि0नी0/87(टी0सी0–आर) दिनांक 25 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की 136वीं बैठक दिनांक 17.01.2018 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में **उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली – 2013** *(शासनादेश संख्या 14/13/2/1997–का–1–2013 दिनांक 30.12.2013)* **एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली – 2016** *(शासनादेश संख्या 1/2016/13/2/1997–का/1– 2016 दिनांक 17.02.2016) (छायाप्रति संलग्न)* की व्यवस्थाओं को कारपोरेशन की सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में यथावत् लागू किया जाता है।

2. उपरोक्तानुसार संशोधित व्यवस्थायें तत्काल प्रभाव, अर्थात आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगी। उपरोक्त के फलस्वरूप तत्संगत सेवा विनियमावलियों के प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

संलग्नक–यथोपरि।

अध्यक्ष

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या: 85 (I)–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पा0का0लि0/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा–प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
12. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(क्रमशः .....2)

13. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
15. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
16. सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अनु सचिव (स0प्र0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
19. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
20. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 17.01.2018 को सम्पन्न 136(05)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
21. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (काविनी)

संख्याः 85 (II)–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पा0का0लि0/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि **जन सम्पर्क / विज्ञापन अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विनियमावली को समाचार पत्रों (हिन्दी दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान एवं टाईम्स ऑफ इण्डिया अंग्रेजी के लखनऊ संस्करण) में अधिसूचित कराते हुए अनुभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (का0वि0नी0)

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-1

संख्या-14/13/2/1997-का-1-2013

लखनऊ :: दिनांक 30 दिसम्बर, 2013

दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
5. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. वेब मास्टर/वेब अधिकारी, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ प्रेषित।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

ह0/-

(योगेश चन्द्र)

संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-1

संख्या-14/13/2/1997-का-1-2013

लखनऊ :: दिनांक 30 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

(3) यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों के सम्बंध में कोई सिविल पद धारण करते हों और जो संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रणाधीन हो ।

अध्यारोही प्रभाव

2. इस नियमावली के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए किन्ही अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,

(क) किसी पद या सेवा के सम्बंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद पर या सेवा में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(ग) "संवर्ग" का तात्पर्य किसी सेवा की या पृथक इकाई के रुप में स्वीकृत, सेवा के किसी भाग की सदस्य संख्या से है;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों के सम्बंध में किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(छ) "सेवा" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों में यथा परिभाषित सेवा से है;

(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो।

परिवीक्षा, जहां आवश्यक हो

4. (1) सीधी भर्ती के माध्यम से, किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है:

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(2) भर्ती के स्रोतों में से एक यदि सीधी भर्ती है, तो पदोन्नति द्वारा किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है:

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(3) सुसंगत सेवा नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में किसी पद पर समायोजन, आमेलन या संविलियन द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित

किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है:

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(4) जहां भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है, किसी पद पर, यदि पद भिन्न सेवा या समूह का है, मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है:

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर, परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

परिवीक्षा, जहां आवश्यक न हो	5.	किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखना आवश्यक न होगा यदि उसे उसी समूह के किसी पद पर, जहां भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है, विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया है।
पद, जिन पर यह नियमावली लागू न होगी	6	यह नियमावली वहां नहीं लागू होगी जहां नियुक्तियां ऐसे अधिष्ठानों के अधीन पदों पर की गई हों, जिनका सृजन एक निश्चित एवं पूर्णतः अस्थायी अवधि के लिये किया गया है, यथा-समितियां, जांच आयोग, आपात विशेष से निपटने के लिये सृजित किये गए संगठन, जिनके कुछ वर्षों से अधिक बने रहने की आशा नहीं है, विनिर्दिष्ट अवधि हेतु परियोजनाओं के लिये सृजित पद और पूर्णतः अस्थायी संगठन।

आज्ञा से,

ह0/-

(राजीव कुमार)

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-1

संख्या-1/2016/13/2/1997-का-1-2016

लखनऊ :: दिनांक 17 फरवरी, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013" में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. (1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का प्रतिस्थापन — 2. "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013" में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिवीक्षा जहां आवश्यक हो	4-(1) सीधी भर्ती के माध्यम से, किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिए अवधि बढ़ाई	4-(1) सीधी भर्ती के माध्यम से, किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिए अवधि बढ़ाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है :

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(2) भर्ती के स्रोतों में से एक यदि सीधी भर्ती है, तो पदोन्नति द्वारा किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है :

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई

जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है :

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(2) भर्ती के स्रोतों में से एक यदि सीधी भर्ती है, तो पदोन्नति द्वारा किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है :

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। (3) सुसंगत सेवा नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में किसी पद पर समायोजन, आमेलन या संविलियन द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ; परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। (4) जहां भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है, किसी पद पर, यदि पद	जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। (3) सुसंगत सेवा नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में किसी पद पर समायोजन, आमेलन या संविलियन द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ; परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भिन्न सेवा या समूह का है, मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ;

परन्तु यह कि आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि (छः) मास से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

नियम 5 का 3. प्रतिस्थापन

उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम		स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिवीक्षा जहां आवश्यक न हो	5-किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखना आवश्यक न होगा यदि उसे उसी समूह के किसी पद पर, जहां भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है,	परिवीक्षा जहां आवश्यक न हो	5-किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखना आवश्यक न होगा यदि उसे किसी ऐसे पद पर पदोन्नत किया गया है, जहां

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया है।	भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है।

आज्ञा से,
राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।